रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102026-277468
CG-DL-E-29102026-277468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5600] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5600] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5825(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ. 4409 (अ) तारीख 07 अगस्त 2026**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई – वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच –एनई ४ के कि.मी. 58.820 से कि.मी.74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भुखंड के निर्माण (चौड़ा करने / छह/ आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"19 अगस्त 2026" को "पुण्य नगरी" (मराठी) और "दि फ्री प्रेस जरनल" (अंग्रेजी)** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त

प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई – वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच – एनई ४ के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अम्बरनाथ					
गांव का नाम: दहिवली					
1	29/A/7	निजी	कृषी	0.0829	वसंत खुशाल धांडे, मंगला वसंत धांडे 29/A/7
गांव का नाम: एरंजाड					
2	41/1	निजी	कृषी	0.0356	मनोहर हरिश्चंद्र मेहेर 41/1
3	53/3	निजी	कृषी	0.0271	शांताराम विनायक मेहेर, मिराबाई हरिभाऊ धुळे, जनाबाई शंकर बोराडे, गुलाब हरिश्चंद्र शेनारे 53/3
4	54/2	निजी	कृषी	0.0638	जनाबाई शंकर बोराडे, मिराबाई हरिभाऊ धुळे, शांताराम विनायक मेहेर, गुलाब हरिश्चंद्र शेनारे 54/2
5	54/7	निजी	कृषी	0.0209	विशाल शंकर भोईर, शंकर गजानन भोईर 54/7
			Total	0.2303	

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/L12/275/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5825(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4409 (E) Dated:07th August, 2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six/Eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Mumbai-Vadodara Expressway Spur to NH-NE4 in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in **"Punya Nagari" (Marathi)** and **"The Free Press Journal" (English)** both dated **19th August 2026**; under sub-section (3) of section 3A of the

said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) Mumbai – Vadodara Expressway Spur to NH-NE 4 in the district of Thane in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: THANE**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ambarnath					
Village: Dahivali					
1	29/A/7	Private	Agriculture	0.0829	Vasant Khushal Dhande, Mangla Vasant Dhande 29/A/7
Village: Yeranjad					
2	41/1	Private	Agriculture	0.0356	Manohar Harichandra Meher 41/1
3	53/3	Private	Agriculture	0.0271	Shantaram Vinayak Meher, Meerabai Haribhau Dhule, Janabai Shankar Borade, Gulab Harishchandra Shenare 53/3
4	54/2	Private	Agriculture	0.0638	Janabai Shankar Borade, Meerabai Haribhau Dhule, Shantaram Vinayak Meher, Gulab Harishchandra Shenare 54/2
5	54/7	Private	Agriculture	0.0209	Vishal Shankar Bhoir, Shankar Gajanan Bhoir 54/7
			Total	**0.2303**	

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/L12/275/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.29 17:28:51 +05'30'